

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

विज्ञापन सं.: रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/रा.न्या.से./सिविल न्या.संवर्ग/2015/254

दिनांक :26/04/2015

सिविल न्यायाधीश संवर्ग में सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा, 2015

1. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत सिविल न्यायाधीश संवर्ग में, परीवीक्षा पर (On Probation) वेतनमान—रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के 105 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित ऑनलाईन प्रारूप (Online Format) में ऑनलाईन आवेदन (Online Application) आमंत्रित किए जाते हैं।

विशेष नोट:-

- (1) Online Application भरने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 (यथा संशोधित), विस्तृत विज्ञापन, Online Application भरने के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों (Instructions) एवं Online Fee जमा कराने हेतु जारी दिशा-निर्देशों (Guide-lines) का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लेवे, जो राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाईट <http://www.hcraj.nic.in> एवं ई-मित्र के पोर्टल <http://emitra.gov.in> पर उपलब्ध है।
- (2) आवेदक Online Application में समस्त वांछित एवं सुसंगत सूचनाएं अवश्य अंकित करे। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

2. रिक्त पदों एवं आरक्षण का विवरण:-

| Total No. of posts | Year              | General                                      | Reserved                                    |                                             |                                             | Persons with Disabilities (Differently Abled)                      |
|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                    |                   |                                              | SC                                          | ST                                          | OBC                                         |                                                                    |
| 105                | Current vacancies | 55 out of which, 16 posts reserved for women | 16 out of which, 5 posts reserved for women | 12 out of which, 4 posts reserved for women | 22 out of which, 7 posts reserved for women | Out of 105 vacancies, 3 posts reserved for persons with disability |

विशेष नोट:- विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन करें।

नोट:-

1. उपरोक्त रिक्त पदों की संख्या में नियमानुसार कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, जिसके लिए पुनः विज्ञापन/शुद्धि पत्र जारी नहीं किया जायेगा।
2. महिलाओं हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) रूप से होगा अर्थात् जिस श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग) की महिला आवेदक चयनित होगी, उसे सम्बन्धित श्रेणी, जिसकी वह आवेदक है, में समायोजित किया जायेगा।
3. निःशक्तजन के आरक्षण के संन्दर्भ में:-
- (अ) Rajasthan Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 2011 के अनुसार निःशक्तजन के लिए आरक्षित दर्शाये गये उपरोक्त पद Locomotor Disability & Cerebral Palsy (L.D. & C.P.) एवं Visual Impaired अक्षमताओं की प्रकृति वाले आवेदकों के लिये आरक्षित है। उक्त आरक्षित पद निम्न प्रकार से अभिव्यक्त की गई अक्षमताओं के आवेदकों हेतु हैं :
- Locomotor Disability & Cerebral Palsy (L.D. & C.P.)
- O.L. – One leg affected (R or L)  
B.L. – Both leg affected (Mobility not to be restricted)  
O.A. – One Arm affected (R or L)
- Visual Impaired (Blind & Low Vision)
- B – Blind (Mobility not to be restricted)  
LV – Low Vision (Mobility not to be restricted)
- (ब) निःशक्तजन हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण भी दण्डवत (Horizontal) रूप से होगा अर्थात् जिस श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग/महिला) का निःशक्त आवेदक चयनित होगा, उसे संबंधित श्रेणी (Category), जिसका वह आवेदक है, में समायोजित किया जावेगा।
- (स) निःशक्तजन की श्रेणी में आने वाले आवेदकों को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर अपनी निःशक्तता के संबंध में Rajasthan Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 2011 के अनुसार राजस्थान राज्य के किसी राजकीय अस्पताल द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड (राजस्थान सरकार के नियमानुसार तीन चिकित्साधिकारियों वाला गठित बोर्ड) द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। Rajasthan Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 2011 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता दर्शाते हुए जारी निःशक्तता प्रमाण-पत्र धारक आवेदक ही निःशक्तजन हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध चयन एवं नियुक्ति के लिए पात्र माना जायेगा।
4. राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 (यथासंशोधित) में विहित प्रक्रिया एवं रीति से भरा जायेगा।
5. महिलाओं एवं निःशक्तजन के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को भी राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 (यथासंशोधित) में विहित प्रक्रिया एवं रीति से भरा जायेगा।

26-4-15

6. विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित श्रेणी का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी जाति (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.) प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
7. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जावेगा।
8. सामान्य वर्ग के पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में पात्र होना आवश्यक होगा।
9. सेवा में नियुक्ति पर अभ्यर्थियों को नियमानुसार परिवीक्षा काल पर रखा जायेगा।
10. पेंशन-नियमानुसार।

### 3. शैक्षणिक योग्यता:-

1. कोई भी अभ्यर्थी सेवा में भर्ती के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत में विधि द्वारा स्थापित तथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन इस रूप में मान्य किसी भी विश्वविद्यालय की विधि स्नातक (व्यावसायिक) की उपाधि धारित ना करता हो।  
(No Candidate shall be eligible for recruitment to the service unless he holds a degree of Bachelor of Laws (Professional) of any University established by Law in India and recognised as such under the Advocates Act, 1961)
2. प्रत्येक अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी भाषा तथा राजस्थानी बोलियों एवं सामाजिक रूढ़ियों (रीति-रिवाज) (Rajasthani Dialects and Social Customs of Rajasthan) का पूर्ण (Thorough) ज्ञान रखने वाला होना चाहिए।

**नोट:- विधि स्नातक (व्यावसायिक) अर्थात् LL.B.(Professional) अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा आवेदक भी आवेदन करने के लिए पात्र है लेकिन उसे मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व उक्त परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने का प्रमाण (Proof) देना होगा।**

### 4. आयु:-

आवेदक 1 जनवरी, 2016 को 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका किन्तु 35 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर चुका होना चाहिए; लेकिन:-

1. यदि कोई आवेदक अपनी आयु के संबंध में ऐसे किसी वर्ष में परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए हकदार होता, जिसमें ऐसी कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी तो वह अपनी आयु के संबंध में ठीक आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए हकदार समझा जावेगा।  
**स्पष्टीकरण:-** अन्तिम बार वर्ष, 2013 में आयोजित परीक्षा हेतु आयु सीमा की गणना 01.01.2014 के आधार पर की गई थी तथा इस विज्ञापन द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षा हेतु आयु सीमा की गणना दिनांक 01.01.2016 के आधार पर की जा रही है। अतः ऐसे आवेदक जो अपनी आयु सीमा की दृष्टि से दिनांक 01.01.2015 को ऐसी परीक्षा में बैठने हेतु पात्र थे, उन्हें अब आयोजित की जा रही परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आयु सीमा की दृष्टि से पात्र माना जाएगा।
2. राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला श्रेणी (Category) के आवेदकों के मामले में ऊपरी आयु सीमा को 5 वर्ष तक शिथिल किया जाएगा।
3. राजस्थान राज्य, पंचायत समितियों, जिला परिषदों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठायाई हैसियत से सेवारत व्यक्तियों के सम्बन्ध में ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
4. विधवा/तलाकशुदा महिलाओं के मामलों में ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष होगी।  
**स्पष्टीकरण:-** विधवा महिला अभ्यर्थी के मामले में उसे साक्षात्कार के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अपने पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र (Death Certificate) प्रस्तुत करना होगा तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी के मामले में उसे विवाह-विच्छेद (Divorce) का प्रमाण (Proof) प्रस्तुत करना होगा।

### 5. परीक्षा शुल्क:-

आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क देय होगा :-

- (क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/अन्य राज्य के आवेदक हेतु ₹ 250/-
- (ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु ₹ 150/-
- (ग) राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक तथा नियमानुसार पात्रता धारक समस्त निःशक्तजन आवेदक हेतु ₹ 50/-

### 6. नियुक्ति के लिए निरर्हताएं:-

कोई भी व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिये या सेवा में बने रहने के लिए योग्य (Qualified) नहीं होगा:-

- (क) यदि उसके एक से अधिक जीवित पति या पत्नी है।
- (ख) यदि वह किसी उच्च न्यायालय, सरकार या सांविधिक निकाय (Statutory Body) या स्थानीय प्राधिकारी (Local Authority) द्वारा सेवा से पदच्युत किया गया (Dismissed) या हटाया गया (Removed) है।
- (ग) यदि वह नैतिक अधमता से अन्तर्वर्लित किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया था या किया गया है (If he was or is convicted for any offence involving moral turpitude) या किसी भी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित होने से किसी उच्च न्यायालय या संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा स्थायी रूप से विवर्जित (Debarred) या निरर्हित (Disqualified) किया गया है।
- (घ) यदि उसे अधिवक्ता रहते हुए अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम, 25) या तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन वृत्तिका अवचार (Professional Misconduct) का दोषी पाया गया हो।
- (ङ) यदि राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 के प्रारम्भ की तारीख को/या के पश्चात् उसके दो से अधिक संतान (Children) हो :

परन्तु किसी आवेदक को, जिसके दो से अधिक संतान (Children) है, नियुक्ति के लिए जब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा तब तक कि उसकी संतानों की संख्या में, जो इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को है, कोई बढ़ोतरी (Increase) नहीं होती है :

परन्तु यह और कि जहां किसी आवेदक के पूर्ववर्ती प्रसव (Earlier Delivery) से केवल एक ही संतान है किन्तु किसी पश्चात्वर्ती एकल प्रसव (Single Subsequent Delivery) से उसके एक से अधिक संतान पैदा हो जाती है, वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई (Entity) समझा जायेगा।

**स्पष्टीकरण:-** इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से 280 दिन के भीतर पैदा हुई संतान निरर्हता का गठन नहीं करेगी (Shall not Constitute Disqualification)।

*ms*  
26.4.15

**नोट:-** राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 दिनांक 19.01.2010 को लागू (Commence) हुए हैं।

(च) यदि वह अपने विवाह के समय दहेज (Dowry) स्वीकार कर चुका है या करता है।

**स्पष्टीकरण:-** इस खण्ड में शब्द "दहेज" का वही अर्थ होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 26) में समनुदिष्ट (Assign) किया गया है।

#### 7- परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम :-

- (1) The competitive examination for the recruitment to the post of Civil Judge shall be conducted in two stages i.e. Preliminary Examination and Main Examination. The marks obtained in the Preliminary Examination by the candidate who are declared qualified for admission to the Main Examination will not be counted for determining final merit.
- (2) The number of candidate to be admitted to the Main Examination will be fifteen times the total number of vacancies (category-wise) but in the said range all those candidates who secure the same percentage of marks on the last cut-off will be admitted to the Main Examination.  
**Note:-** To qualify for Main Written Examination, the candidates of SC/ST category shall have to secure minimum 40% marks and candidates of all other categories shall have to secure 45% minimum marks in the Preliminary Examination.
- (3) The number of candidates to be admitted to the interview shall be, as far as practicable, three times the total number of vacancies category-wise :  
Provided that to qualify for interview, a candidate shall have to secure a minimum of 35% marks in each of the law papers and 40% marks in aggregate in the Main Examination;  
Provided further that a candidate belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe category, shall be deemed to be eligible for Interview, if he has obtained minimum of 30% marks in each of the law papers and 35% marks in the aggregate in the Main Examination.
- (4) It shall be compulsory to appear, in each and every paper of written test, as also before the Interview Board for viva voce. A candidate, who has failed to appear in any of the written paper or before the board for viva voce shall not be recommended for appointment.
- (5) The examination scheme for recruitment to the cadre of Civil Judge shall consist of :-  
**I.** Preliminary Examination (Objective Type)  
**II.** Written Main Examination (Subjective Type)  
**III.** Interview

**I. Preliminary Examination:-** The Preliminary Examination shall be an objective type examination in which 70% weightage will be given to the subjects prescribed in syllabus for Law Paper-I and Law Paper-II, and 30% weightage shall be given to test proficiency in Hindi and English language. The maximum marks for Preliminary Examination shall be 100 in which number of questions to be asked shall also be 100. However, there shall be no negative marking for wrong answers in Preliminary Examination. The duration of Preliminary Examination shall be of 2 hours. The marks obtained in the Preliminary Examination shall not be counted towards the final selection.

#### **Syllabus for Preliminary Examination**

**1. Law :** Same as prescribed for Law Paper I & II for Main Examination.

**2. Hindi Proficiency :**

- i. शब्द रचना : सन्धि एवं सन्धि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय।
- ii. शब्द प्रकार : (क) तत्सम, अर्द्धतत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी।  
(ख) संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय (क्रिया विशेषण, सम्बन्ध सूचक, विस्मयबोधक निपात)।
- iii. शब्द ज्ञान : पर्यायवाची, विलोम, शब्द युग्मों का अर्थ भेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द चयन, सम्बन्धवाची शब्दावली।
- iv. शब्द शुद्धि।
- v. व्याकरणिक कोटियाँ : परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति(Mood), पक्ष(Aspect), वाच्य(Voice)।
- vi. वाक्य रचना।
- vii. वाक्य शुद्धि।
- viii. विराम चिह्नों का प्रयोग।
- ix. मुहावरे/लोकोक्तियाँ।
- x. पारिभाषिक शब्दावली : प्रशासनिक, विधिक (विशेषतः)।

**3. English Proficiency :**

- i. Tenses
- ii. Articles and Determiners
- iii. Phrasal Verbs and Idioms
- iv. Active & Passive Voice
- v. Co-ordination & Subordination
- vi. Direct and Indirect Speech
- vii. Modals expressing various concepts-  
(Obligation, Request, Permission, Prohibition, Intention, Condition, Probability, Possibility, Purpose, Reason, Companions, Contrast)
- viii. Antonyms and Synonyms.
- ix. Legal Maxims

**II. Written Main Examination:-** The Main Examination shall consist of following subjects:

| S.No. | Subjects  | Paper                  | Marks | Duration |
|-------|-----------|------------------------|-------|----------|
| 1.    | Law       | Paper-I                | 100   | 3 Hours  |
| 2.    | Law       | Paper-II               | 100   | 3 Hours  |
| 3.    | Language  | Paper-I Hindi Essay    | 50    | 2 Hours  |
|       |           | Paper-II English Essay | 50    | 2 Hours  |
| 4.    | Interview | --                     | 35    | --       |

26-4-15

**Syllabus for Main Examination**

**Law Paper-I** – The Constitution of India, Code of Civil Procedure, 1908, Indian Contract Act, 1872, Indian Partnership Act, 1932, The Sale of Goods Act, 1930, Law of Torts, Indian Easements Act, 1882, The Motor Vehicles Act, 1988 (Chapter X, XI & XII and The Second Schedule), The Arbitration and Conciliation Act, 1996, The Rajasthan Rent Control Act, 2001, The Rajasthan Tenancy Act, 1955, The Rajasthan Land Revenue Act, 1956, The Rajasthan Agricultural Credit Operations (Removal of Difficulties) Act, 1974, The Specific Relief Act, 1963, Hindu Marriage Act, 1955, Hindu Succession Act, 1956, Hindu Minority and Guardianship Act, 1956, Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956, Muslim Law, The Transfer of Property Act, 1882, The Limitation Act, 1963, The Legal Services Authorities Act, 1987, The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, The Rajasthan Guaranteed Delivery of Public Services Act, 2011, The Rajasthan Right to Hearing Act, 2012, The Rajasthan Court Fees & Suits Valuation Act, 1961, The Registration Act, 1908, The Rajasthan Stamp Act, 1998, Negotiable Instrument Act, 1881, (Chapter II, III, IV, VI, IX, XII and XIII), General Rules (Civil), 1986, The Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994, The Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Judgment Writing.

Paper is designed to test the practical knowledge of the candidates in civil law and procedure e.g. drafting, pleadings, framing issues and writing out judgments etc. in civil cases.

**Law Paper-II** – The Code of Criminal Procedure, 1973, The Indian Evidence Act, 1872, The Indian Penal Code, 1860, The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000, The Probation of Offenders Act, 1958, The Negotiable Instrument Act, 1881 (Chapter XVII), The Electricity Act, 2003 (Chapter XIV), The Information Technology Act, 2000, The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, General Rules (Criminal), 1980 and Judgment Writing.

Paper is Designed to test the practical knowledge of the candidates in criminal law and procedure e.g. framing charges and writing out the judgments etc. in criminal cases.

**Language Paper-I Hindi Essay** - Essay writing in Hindi language.

**Language Paper-II English Essay** - Essay writing in English language.

**Interview:-**

In interviewing a candidate, the suitability for employment to the service shall be tested with reference to his record at the School, College and University, and his character, personality, address and physique. The questions, which may be put to him, may be of a general nature and will not necessarily be academic or legal. The candidate will also be put questions to test his general knowledge including knowledge of current affairs and present-day problems. Marks shall also be awarded for the candidate's proficiency in the Rajasthani dialects and his knowledge of social customs of Rajasthan. The marks so awarded shall be added to the marks obtained in the written test by each candidate.

**List of candidates:-**

After interview, a list of the candidates shall be prepared in the order of their performance on the basis of their aggregate marks. If two or more of such candidates obtain equal marks in the aggregate, they shall be arranged in the order of merit on the basis of their general suitability for service and their names shall be recommended for appointment accordingly :

Provided that a candidate of Scheduled Castes or Scheduled Tribes category shall not be recommended for appointment unless he obtains minimum 35% marks in the aggregate of written examination and the interview, and, in the case of other candidates, unless he obtains minimum 40% marks in the aggregate of written examination and the interview;

Provided further that no candidate shall be recommended who fails to obtain minimum 25% marks in the interview.

**विशेष नोट :-** परीक्षा की स्कीम व पाठ्यक्रम राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट <http://www.hcranj.nic.in> पर भी उपलब्ध है।

8. **महत्वपूर्ण तिथियां :-**

- (i) निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा कराने की अंतिम दिनांक :- 20.05.2015
- (ii) ऑनलाईन आवेदन भरने की समय सीमा दिनांक :- 01.05.2015 से दिनांक 21.05.2015 रात्रि 11:59 बजे तक।

9. **आवेदन प्रक्रिया :-**

आवेदन केवल Online Application के रूप में ही लिये जाएंगे। हाथ से भर कर या अन्य किसी भी रूप में प्रेषित आवेदन-पत्र किसी भी स्थिति में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

(अ) Online Application भरने से पूर्व आवेदक के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा कर एक यूनिक टोकन नम्बर (Unique Token Number) प्राप्त (Generate) करना अनिवार्य होगा; जो निम्न प्रकार से परीक्षा शुल्क अदा कर प्राप्त किया जा सकता है :-

- I. **राज्य सरकार के अधीन संचालित ई-मित्र कियोस्क या नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से:-** किसी आवेदक द्वारा ई-मित्र कियोस्क या नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा कर एक यूनिक टोकन नम्बर (UTN) प्राप्त किया जा सकेगा। इस हेतु उसे ₹10/- की राशि संबंधित ई-मित्र कियोस्क या नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी, जिसकी कियोस्क/केन्द्र द्वारा रसीद जारी की जावेगी। आवेदक द्वारा फीस जमा करवाते समय निम्न सूचनाएं ई-मित्र कियोस्क या नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) संचालक को आवश्यक रूप से सही-सही उपलब्ध करानी होगी क्योंकि इन सूचनाओं में Online Application भरते समय कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा :-

- i. Name of Examination
- ii. Post applied for
- iii. Name of Applicant
- iv. Father's Name
- v. Date of Birth

*ms*  
26-4-15

- vi. Domicile/Bonafide resident
- vii. Category [SC/ST/OBC(Creamy layer/Non Creamy layer)/General]
- viii. Category (Persons with Disabilities)

**नोट:-**

- (1) आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस सुविधा का उपयोग करते हुए निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि अदा करने से पूर्व ई-मित्र के पोर्टल <http://emitra.gov.in> पर इस संबंध में उपलब्ध दिशा-निर्देशों (Guidelines) का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लेवे।
- (2) ई-मित्र कियोस्क/नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि आवेदन पत्र भरने की अन्तिम दिनांक से एक दिन पूर्व तक ही जमा की जाएगी, उसके पश्चात् किसी भी स्थिति में जमा नहीं की जाएगी तथा ई-मित्र कियोस्क/नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) पर यह राशि केवल नकद ही स्वीकार की जावेगी।
- (3) ई-मित्र कियोस्क/नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा कर प्राप्त किया गया यूनिक टोकन नम्बर (Unique Token Number), आवेदक द्वारा तत्पश्चात् आवेदन पत्र नहीं भरने की स्थिति में, परीक्षा शुल्क की राशि वापस प्राप्त (Refund) करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया के तहत केवल 2 दिवस के भीतर ही निरस्त कराया जा सकेगा लेकिन अदा किये जा चुके सेवा शुल्क की राशि किसी भी स्थिति में वापस प्राप्त (Refund) नहीं की जा सकेगी।
- (4) राज्य सरकार के अधीन संचालित ई-मित्र कियोस्क व नागरिक सेवा केन्द्रों (C.S.C.) की सूची, दूरभाष नम्बर व अन्य आवश्यक सूचनाएँ ई-मित्र के पोर्टल <http://emitra.gov.in> पर उपलब्ध है।
- (5) आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह परीक्षा शुल्क जमा करवाने की रसीद, जिस पर यूनिक टोकन नम्बर (Unique Token Number) अंकित है, को सुरक्षित रखें क्योंकि यह Online Application भरने के लिए आवश्यक है।

- II. **स्वयं के स्तर पर/समुचित संसाधनयुक्त साइबर कैफे के माध्यम से:-** यदि समुचित संसाधन यथा: इंटरनेट सुविधा युक्त डेस्कटॉप कम्प्यूटर/लैपटॉप उपलब्ध हो; इसके लिए आवेदक राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट <http://www.hcranj.nic.in> पर उपलब्ध ई-मित्र पोर्टल के लिंक <http://emitra.gov.in> का उपयोग करते हुए नेट-बैंकिंग या डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से Axis Bank/ICICI Bank/M/s Indialdeas.com (Billdesk)/M/s PayUIndia/HDFC Bank/Bank of Baroda Payment Gateway या तत्समय उपलब्ध अन्य किसी Payment Gateway के जरिये निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा कर एक यूनिक टोकन नम्बर प्राप्त कर सकेगा। इसके लिए ई-मित्र को सेवा शुल्क के रूप में देय ₹10/- की राशि एवं संबंधित Payment Gateway को देय निर्धारित सेवा शुल्क (Applicable Charges) की राशि स्वयं आवेदक द्वारा वहन की जावेगी।

**विशेष नोट:-** आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि फीस जमा कराते समय सूचनाएँ यथा Name of Applicant, Father's Name, Date of Birth etc., दस्तावेजों के आधार पर सही-सही भरें क्योंकि Online Application भरते समय इन सूचनाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

**नोट:-**

- (1) आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस सुविधा का उपयोग करते हुए निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि अदा करने से पूर्व ई-मित्र के पोर्टल <http://emitra.gov.in> पर इस संबंध में उपलब्ध दिशा-निर्देशों (Guidelines) का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लेवे।
- (2) नेट-बैंकिंग (Net-Banking) या डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि, ऑनलाइन आवेदन-पत्र (Online Application) भरने की अंतिम दिनांक से एक दिन पूर्व तक अर्थात् Online Application के पोर्टल के निष्क्रिय होने से 24 घन्टे पूर्व तक ही जमा की जा सकेगी। उसके पश्चात् किसी भी स्थिति में जमा नहीं की जा सकेगी।
- (3) नेट-बैंकिंग (Net-Banking) या डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि जमा करवाने हेतु उपलब्ध Payment Gateway की सूची एवं उनके द्वारा वसूली योग्य शुल्क Processing Charges का विवरण ई-मित्र के पोर्टल <http://emitra.gov.in> पर उपलब्ध है।
- (4) साइबर कैफे के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा कर यूनिक टोकन नम्बर (UTN) प्राप्त करने की स्थिति में साइबर कैफे द्वारा वसूल की जाने वाली सेवा शुल्क की राशि स्वयं आवेदक द्वारा वहन की जायेगी।

**विशेष नोट:-**

1. इस सुविधा का उपयोग करते हुए एक बार टोकन नम्बर प्राप्त कर लेने पर, चाहे आवेदक तत्पश्चात् आवेदन करे अथवा नहीं, उसे किसी भी स्थिति में निरस्त नहीं किया जा सकेगा तथा अदा किये जा चुके परीक्षा शुल्क की राशि को वापस प्राप्त करने (Refund) के संबंध में आवेदक को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा, अपितु राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा इस संबंध में लिया गया निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा लेकिन वहन किये जा चुके सेवा शुल्क की राशि किसी भी स्थिति में वापसी (Refund) नहीं होगी।
2. फीस जमा कराने के उपरान्त online application भरने के लिये आवेदक राजस्थान उच्च न्यायालय कि अधिकारिक वेब साइट ([www.hcranj.nic.in](http://www.hcranj.nic.in)) पर लॉग-इन करें।

(ब) किसी भी आवेदक द्वारा Online Application निम्न प्रकार भरा जा सकता है:-

- I. **स्वयं के स्तर पर:-** यदि समुचित संसाधन यथा; डेस्कटॉप कम्प्यूटर/लैपटॉप व इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हो।
- II. **राज्य सरकार के अधीन संचालित ई-मित्र कियोस्क या नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से:-** किसी आवेदक द्वारा ई-मित्र कियोस्क या नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से आवेदन भरने की स्थिति में उसे ₹25/- की राशि संबंधित ई-मित्र कियोस्क या नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी, जिसकी कियोस्क/केन्द्र द्वारा रसीद जारी की जावेगी। आवेदक द्वारा अपना फोटो ई-मित्र कियोस्क/नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से खिंचवाने की दशा में ₹5/- पृथक से देय होंगे।

26-4-15



**विशेष नोट:-**

Online Application भरने के लिए आवेदक को, निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा करने पर प्राप्त (Generate) होने वाला यूनिक टोकन नम्बर (Unique Token Number) उपयोग में लेना होगा, इसके लिए वह ई-मित्र कियोस्क/नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से परीक्षा शुल्क अदा करने की स्थिति में प्राप्त यूनिक टोकन नम्बर युक्त रसीद को सुरक्षित रखेगा तथा नेट बैंकिंग या डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क अदा करने की स्थिति में प्राप्त (Generate) होने वाली यूनिक टोकन नम्बर (UTN) युक्त रसीद को Download कर अथवा Print out लेकर सुरक्षित रखेगा।

**नोट :-**

- (1) Online Application भरने में सुविधा के लिए आवेदक सर्वप्रथम आवेदन-पत्र का प्रारूप (Format) राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट <http://www.hcraj.nic.in> से डाउनलोड कर उसे हाथ से भर ले तथा आश्वस्त हो जावे कि सभी प्रविष्टियाँ सही-सही भरी गयी हैं।
- (2) ई-मित्र कियोस्क/नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से Online Application भरने की स्थिति में आवेदक को वहाँ पर भी आवेदन-पत्र का प्रारूप (Format) निःशुल्क उपलब्ध होगा, इसलिए आवेदक उक्त प्रारूप को हाथ से भर ले तथा आश्वस्त हो जावे कि सभी प्रविष्टियाँ सही-सही भरी गयी हैं तत्पश्चात् उसे ई-मित्र कियोस्क/नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) के संचालक को Online Application तदनुसार भरने हेतु प्रस्तुत करें ताकि सभी प्रविष्टियाँ सही-सही भरी जा सकें।
- (3) आवेदक द्वारा Online Application भरने पर उसे एक आवेदन-पत्र क्रमांक (Application-ID) प्राप्त (Generate) होगा जो इस बात का निश्चयात्मक सबूत होगा कि आपका ऑनलाईन आवेदन-पत्र रजिस्ट्रार (परीक्षा) के कार्यालय में दर्ज हो चुका है। **आवेदन-पत्र क्रमांक (Application-ID) की अप्राप्ति इस तथ्य का द्योतक है कि अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र रजिस्ट्रार (परीक्षा) के कार्यालय में दर्ज नहीं हुआ है।** आवेदन-पत्र क्रमांक (Application-ID) की, राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट <http://www.hcraj.nic.in> से ऑनलाईन आवेदन-पत्र (Online Application) का प्रिन्ट-आउट (Print-out) लेने हेतु एवं रजिस्ट्रार (परीक्षा) को किये जाने वाले समस्त पत्राचार हेतु आवश्यकता होगी इसलिए आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित करले कि उन्हें आवेदन-पत्र क्रमांक प्राप्त हो गया है, किसी कारणवश ऑनलाईन आवेदन-पत्र अन्तिम रूप से भरने (save) करने के उपरान्त भी यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (Application-ID) प्राप्त नहीं होता है तो आवेदक तुरन्त हेल्प लाईन पर अथवा जरिये ई-मेल, रजिस्ट्रार (परीक्षा) के कार्यालय में संपर्क करें।

**महत्वपूर्ण सूचना:-**

ई-मित्र कियोस्क/नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) या ई-मित्र पोर्टल के संबंध में किसी भी प्रकार की कठिनाई/जानकारी/सहायता के लिए ई-मित्र के पोर्टल [www.emitra.gov.in](http://www.emitra.gov.in) पर उपलब्ध Link 'Help Center' पर जाकर ई-मित्र के संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से सम्पर्क करने के संबंध में सूचना प्राप्त की जा सकती है अथवा निम्न पर भी सम्पर्क किया जा सकता है:-

- i. **CCC (Citizen Contact Center)**  
Number (Toll Free) 1800 180 6127  
e-mail ID- [ccc.emitra@gmail.com](mailto:ccc.emitra@gmail.com)
- ii. **Contact at e-Mitra Technical Support**  
CSE - Customer Support Engineer -  
Mobile Number - 9571999942/9571999943  
e-mail ID- [emitra.support@gmail.com](mailto:emitra.support@gmail.com)

**10. ऑनलाईन आवेदन करने की समय सीमा:-**

ऑनलाईन आवेदन (Online Application) भरने की समय सीमा दिनांक 01.05.2015 को प्रातः 11.00 बजे से प्रारम्भ होकर अन्तिम दिनांक 21.05.2015 को रात्रि 11:59 बजे तक रहेगी। इसके उपरान्त ऑनलाईन आवेदन के पोर्टल का लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक व समय का इन्तजार किए बिना निर्धारित समय सीमा के अन्दर यथाशीघ्र निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा कर ऑनलाईन आवेदन करें। ई-मित्र कियोस्क/नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम दिनांक से एक दिन पूर्व तक तथा नेट-बैंकिंग (Net-Banking) या डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि, ऑनलाईन आवेदन-पत्र (Online Application) भरने की अन्तिम दिनांक से एक दिन पूर्व तक अर्थात् Online Application के पोर्टल के निष्क्रिय होने से 24 घन्टे पूर्व तक ही जमा की जा सकेगी। उसके पश्चात् किसी भी स्थिति में जमा नहीं की जा सकेगी।

**11. आवेदन कैसे करें:-**

कोई भी आवेदक जिस श्रेणी (Category) के तहत आवेदन करने का पात्र है, वह उस श्रेणी (Category) में ही आवेदन करे।

**नोट:-** राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

**कृपया ध्यान दें:-**

1. ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक भरे जाने वाले आवेदन ही स्वीकार किये जाएंगे। आवेदक ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन में अंकित शर्तों व सुसंगत नियमों के तहत पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है तथा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही-सही एवं पूर्ण रूप से भरी गई हैं। समस्त प्रविष्टियाँ पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जायेगा। इसलिए ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गयी सूचनाओं के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
2. ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गयी प्रविष्टियों को अन्तिम रूप से प्रेषित "(Save)" कर देने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र विचारार्थ स्वीकार किया जाएगा।

Ans  
26.4.15

12. **प्रारम्भिक परीक्षा का स्थान, माह एवं दिनांक:-**

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा राज्य के सभी सम्भागीय जिला मुख्यालयों यथा; अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर पर लिये जाने की संभावना है। परीक्षा आयोजित किये जाने के स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है, लेकिन किसी भी आवेदक द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में एक बार चयनित कर लिए गए संभागीय जिला मुख्यालय में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अतः आवेदक ऑनलाईन आवेदन में परीक्षा केन्द्र के रूप में सम्भागीय जिला मुख्यालय का नाम भरने से पूर्व भली प्रकार विचार कर लेवे। परीक्षा के माह व दिनांक के संबंध में सूचना पृथक से प्रसारित की जाएगी। परीक्षा आयोजित किए जाने वाले माह एवं दिनांक में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है।

13. **मुख्य परीक्षा का स्थान, माह एवं दिनांक:-**

मुख्य परीक्षा जयपुर एवं जोधपुर संभागीय मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा के माह व दिनांक के संबंध में सूचना पृथक से प्रसारित की जाएगी। परीक्षा आयोजित किए जाने वाले स्थान, माह एवं दिनांक में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है।

14. **अनापत्ति प्रमाण-पत्र:-**

राजस्थान राज्य, पंचायत समितियों, जिला परिषदों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवारत व्यक्तियों को आवेदन करने से पूर्व ही अपने नियोक्ता को लिखित में सूचित कर इस परीक्षा के लिए आवेदन करने की अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि नियोक्ता द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय को आवेदक द्वारा अनुमति नहीं लिए जाने अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने के बारे में सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता (Candidature) तुरन्त प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।

15. **प्रवेश-पत्र (Admission Card):-**

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रवेश-पत्र वेबसाइट <http://www.hcranj.nic.in> के माध्यम से Online ही जारी किए जाएंगे तथा डाक से कोई प्रवेश-पत्र नहीं भेजा जाएगा। परीक्षा की तिथि निर्धारित होने के उपरान्त अभ्यर्थियों के रोल नम्बर एवं प्रवेश-पत्र जारी किए जाने की सूचना वेबसाइट के माध्यम से शीघ्र जारी की जाएगी। आवेदक (i) अपनी जन्म दिनांक (Date of Birth) एवं (ii) रोल नम्बर (Roll Number) के आधार पर अपना प्रवेश-पत्र वेबसाइट से प्राप्त (Download) कर सकेगा। इसलिए आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के अनुसार प्रवेश-पत्र जारी करने सम्बन्धी सूचना आवेदक की ई-मेल आई.डी. (e-mail ID) एवं मोबाईल नम्बर पर भी भेजी जा सकती है। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र ई-मित्र कियोस्क/नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं किन्तु इस हेतु उन्हें ₹5/- शुल्क के रूप में देने होंगे।

16. **महत्वपूर्ण सूचनाएँ:-**

- (1) प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित किये जाने के ठीक अगले दिन प्रश्न-पत्र की आदर्श उत्तर कुंजी (Model Answer Key) राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट <http://www.hcranj.nic.in> पर प्रकाशित कर दी जावेगी। इस प्रकार प्रकाशित की गयी आदर्श उत्तर कुंजी (Model Answer Key) पर अभ्यर्थियों द्वारा प्रकाशन की दिनांक से 10 दिन के अन्दर परीक्षा अनुभाग की ई-मेल आईडी [rhcxexam-rj@nic.in](mailto:rhcxexam-rj@nic.in) पर अपनी आपत्तियां भिजवायी जा सकेंगी। तत्पश्चात् प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उक्तानुसार प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर सक्षम समिति द्वारा विचार कर, आवश्यकता होने पर, पुनरीक्षित उत्तर कुंजी प्रकाशित की जा सकती है तथा इसके साथ ही प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम भी घोषित किया जा सकता है।
- (2) कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा-कक्ष/परीक्षा-केन्द्र के परिसर में मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर एवं अन्य कोई संचार यंत्र (any other electronic/communication devices) तथा पर्स इत्यादि कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर नहीं आएंगे। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुएँ, जैसे पेन, पेन्सिल, प्रवेश-पत्र या राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित एवं अनुज्ञेय सामग्री ही कक्ष में ले जा सकता है।
- (3) जिस परिसर में भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहां मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर या अन्य कोई संचार यंत्र (any other electronic/communication devices) रखने की अनुमति नहीं है। ऐसी किसी वस्तु की सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान उच्च न्यायालय, किसी की भी नहीं होगी।
- (4) परीक्षार्थियों को राजस्थान उच्च न्यायालय/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त/अधिकृत अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों की अनिवार्यता: पालना करनी होगी। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध भविष्य में होने वाली परीक्षा में बैठने पर रोक सहित समुचित कानूनी एवं अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।
- (5) ऐसे आवेदक, जिनके द्वारा अन्तिम दिनांक तक ऑनलाईन आवेदन कर दिया गया है, उनको ही राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से परीक्षा में बैठने दिया जायेगा। किसी आवेदक को परीक्षा में बैठने के लिए केवल मात्र प्रवेश-पत्र जारी कर दिये जाने का यह अर्थ नहीं है कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उसकी अभ्यर्थिता अन्तिम (Final) रूप से सही मान ली गई है अथवा आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में की गयी प्रविष्टियां राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आवेदक की मूल प्रलेखों से व नियमानुसार पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन/महिला/विधवा/परित्यक्ता/राज्य कर्मचारी आदि के रूप में पात्रता की अन्य आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करने के आधार पर उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी अभ्यर्थिता (Candidature) किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा।
- (6) राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 (यथासंशोधित) के अनुसार अपात्र पाये जाने की स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है अतः समस्त आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व नियमानुसार अपनी पात्रता की जांच स्वयं के स्तर पर कर लेवे।
- (7) राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार की गाइड बुक आदि का अनुमोदन नहीं किया गया है।
- (8) **श्रुत लेखक की सुविधा:-** सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न-उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे। केवल Rajasthan Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full participation), Rules, 2011 में वर्णित ऐसे निःशक्त व्यक्ति जो स्वयं अपने हाथ से प्रश्नों के उत्तर लिखने में असमर्थ हैं, उन्हें रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के कार्यालय को परीक्षा आयोजित किये जाने की दिनांक से 15 दिन पूर्व तक प्रार्थना पत्र वांछित प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत करने पर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा श्रुत लेखक की सुविधा देय होगी, लेकिन अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए परीक्षार्थी को यह सुविधा देय नहीं होगी।
- (9) **अनुचित साधनों की रोकथाम:-** परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर उनके विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय, जो भी उचित समझें कार्यवाही कर सकता है जिसमें परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत समुचित कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।

- (10) कोई अभ्यर्थी, जो प्रतिरूपण का (Impersonation) या कूट रचित/छेड़छाड़ युक्त दस्तावेजात को प्रस्तुत करने (Submitting Fabricated or Tempered with Documents) का या अशुद्ध/असत्य कथन करने (Making Incorrect or False Statements) का या तात्विक सूचनाओं को छिपाने का (Suppressing Material Information) या परीक्षा में या साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने या करने का प्रयास करने का (Using or Attempting to use Unfair Means in the Examination or Interview) या अन्यथा परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने या किसी साक्षात्कार हेतु **बुलावा** प्राप्त करने हेतु अन्य किसी अनियमित या अनुचित साधनों का सहारा लेने का (Otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination or appearance at any interview) दोषी पाया जाता है या राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दोषी घोषित किया जाता है, वह आवेदक/परीक्षार्थी स्वयं को आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी बनाने के साथ-साथ राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी परीक्षा में प्रवेश लेने से या किसी भी साक्षात्कार में उपस्थित होने से स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वंचित (Debarred) कर दिया जाएगा या राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन प्राप्त करने से वंचित (Debarred) कर दिया जाएगा।
- (11) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता देय नहीं होगा।
- (12) समस्त अभ्यर्थियों को सभी संबंधित मूल दस्तावेज/प्रमाण-पत्र, जिनके आधार पर वे किसी भी प्रकार का दावा (Claim) करते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर (On being required) प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।

#### राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट एवं हैल्प लाईन:-

आवेदक, राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट <http://www.hcranj.nic.in> पर उपलब्ध सूचनाओं से भी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की सहायता/ मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा इस परीक्षा के लिए संचालित की जाने वाली **हैल्प लाईन (Help Line)** के दूरभाष सं० **0291-2541042** एवं **2541388** पर कार्यालय समय के दौरान (During Office Hours) तथा राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिसर में स्थापित किये जाने वाले कन्ट्रोल रूम पर व्यक्तिगत रूप से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

आवश्यकता होने पर समस्त पत्र व्यवहार रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को सम्बोधित किया जावे।

26.4.15  
रजिस्ट्रार (परीक्षा)

**विज्ञापन (Advertisement) सं.: रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/रा.न्या.से./सिविल न्या.संवर्ग/2015/259 दिनांक : 26.04.15**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. रजिस्ट्रार (वर्गीकरण), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर को विज्ञापन (Advertisement) के अनुसार ऑनलाईन आवेदन के पोर्टल का भली प्रकार कार्य करना सुनिश्चित कराने हेतु।
4. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजस्थान।
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान सरकार, जयपुर को उक्त विज्ञापन की प्रति अधोलिखित समाचार-पत्र के नवीनतम संस्करण में निःशुल्क प्रकाशित कराने हेतु भेजी जाती है। जिस पत्र के साथ विज्ञापन उक्त समाचार-पत्र में प्रकाशन हेतु भेजा जाये उसकी एक प्रति कृपया रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के कार्यालय को सूचनार्थ पृष्ठांकित करें साथ ही विज्ञापन प्रबन्धक से अनुरोध करें कि वे प्रकाशित विज्ञापन की एक प्रति (निःशुल्क) रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को सीधे ही भेजें जिससे प्रकाशित सामग्री की जाँच की जा सके :- **“राजस्थान राजगार सन्देश”**, जयपुर संस्करण (Jaipur Edition) के ठीक आगामी अंक (forthcoming issue) में केवल एक बार निःशुल्क प्रकाशित कराने हेतु।
9. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को विज्ञापन (केवल एक बार) राजस्थान राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
10. राज कॉम इन्फो सर्विस लिमिटेड (आर.आई.एस.एल.), प्रथम तल सी ब्लॉक, योजना भवन, तिलक मार्ग सी-स्कीम, जयपुर-302005 को सूचनार्थ प्रेषित है।
11. Technical Director/D.I.O., N.I.C., Computer Cell, Rajasthan High Court, Jaipur/Jodhpur to upload the advertisement on the website of Rajasthan High Court and also to ensure the efficient and unhampered functioning of the "online application portal and other programmes/services connected thereto" during its validity period.
12. Notice Board, Rajasthan High Court, Jaipur/Jodhpur.

26.4.15  
रजिस्ट्रार (परीक्षा)